न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 33/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00055

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
भाखराराम पुत्र डूंगराराम वगैरह	भागीरथ पुत्र सुरजनराम, वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 22.09.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 14 के बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरनाउ पटवार हल्का सरनाउ में प्रार्थीगण के मालिकान, खातेदारी, कब्जाकाश्त की भूमि के खसरा नंबर 506 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 507 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 509 रकबा 3.37 हैक्टेयर, खसरा नंबर 510 रकबा 1.19 हैक्टैयर, खसरा नंबर 511 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 513 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 508 रकबा 4.85 हैक्टेयर, खसरा नंबर 89 रकबा 4.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 90 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 239 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 240 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 257/1431 रकबा 0.27 हैक्टेयर आये हुए है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा पुश्तैनी हक व स्व. हरू के 1/4 हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा मालिकाना हक, कब्जाकाश्त का आया हुआ है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में दर्ज 1/4 हिस्सा अनुसार व स्व. हरू के हिस्से की भूमि को मिलाकर मौके पर हम प्रार्थीगण अलग अलग खेती बाड़ी करते है लेकिन रेकर्ड में नाम दर्ज होने से उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाया गया है जिससे हम प्रार्थीगण मौके पर काबिज कब्जा अनुसार मिंटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करवाने के हकदार होने से दावा बंटवाड़ा का पेश किया है। वादग्रस्त भूमि में स्व. हरू के निर्वसियती अविवाहित नाऔलाद फौत होने से प्रार्थीगण [illegible] हक पाने के अधिकारी है। मौके पर उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। खेती बाड़ी कर भूमि सार संभाल करते है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त अवैधानिक कृत्य करनें में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को तरह तरह के मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा, वाद क बहुलतांए बढ़ेगी व कानूनी जटिलतांए पैदा होगी। प्रार्थीगण अपने हक से हमेशा के लिए वंचित रह जायेंगे जो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:37:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर,
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर,

जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा पानें का हकदार होने से प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में स्व. हरू के हिस्से की भूमि का बैचान, रहन, तर्क व अन्य तरीके से हस्तांतरण नही करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे में दखल पैदा नहीं करें व करावे तथा न ही अप्रार्थी संख्या 13 व 14 उक्त आराजी से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन न करें तथा न ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। वादग्रस्त आराजी की मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

मैंने अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सरनाउ के खेत खसरा नंबर 506, 507, 509, 510, 511, 513, 508, 89, 90, 239, 240, 257/1431 स्व. हरू के हिस्से की भूमि बैचान, रहन इत्यादि नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:14 IST
Reason: SelfAttested